



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा  
जिला :- जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद "नैक" बैंगलोर द्वारा (तृतीय चक्र-2022) मूल्यांकित "बी" ग्रेड संस्थान  
ई-मेल : gpgc\_cph@yahoo.com वेबसाइट - www.gmmrcg.in

क्रमांक 609/अतिथि व्याख्याता/विज्ञापित /2025-26,

चाम्पा, दिनांक 30.07-2025

// अतिथि व्याख्याता एवं अन्य हेतु विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक 289/01/आउशि/राज.स्था./2025, नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक ESTB-1027/1216/2025/38-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय एम.एम.आर.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चाम्पा (छ.ग.) में विषय समाजशास्त्र, टसर टेक्नोलॉजी, क्रीड़ा विभाग में अध्यापन /क्रीड़ा व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दिनांक 08.08.2025 को सायं 5:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर करते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

**आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :-**

1. अतिथि व्याख्याताओं एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. **आयु सीमा :-** अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय/पदों का विवरण :-

| क्र. | विषय           | रिक्त पदों की संख्या |
|------|----------------|----------------------|
| 01   | समाजशास्त्र    | 01                   |
| 02   | टसर टेक्नॉलोजी | 01                   |
| 03   | क्रीड़ाधिकारी  | 01                   |

टीप :- संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्तें :-

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक स्नातकोत्तर, सेट/नेट एम.फिल./पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 08.08.2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे हैं। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
3. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11.08.2025 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाइट पर विस्तृत विवरण अपलोड किया जावेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 14.08.2025 होगी।



6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18.08.2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा। कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

| क्र. | विवरण                                                | अतिथि व्याख्याता                                  | अतिथि शिक्षण सहायक                         |
|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (अ)  | 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये                   |                                                   |                                            |
| 1    | 40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये                   | 400 / -                                           | 300 / -                                    |
| 2    | चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय          | 1600 / -<br>(41,600 / - प्रतिमाह अधिकतम)          | 1200 / -<br>(30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)   |
| (ब)  | 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये                      |                                                   |                                            |
| 3    | 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये                      | 500 / -                                           | 350 / -                                    |
| 4    | चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय          | 2000 / -<br>(50,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)          | 1400 / -<br>(35,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)   |
| (स)  | दैनिक मानदेय                                         |                                                   |                                            |
| 5    | विवरण                                                | अतिथि ग्रंथपाल / क्रीड़ाधिकारी                    | अतिथि ग्रंथपाल सहायक / अतिथि क्रीड़ा सहायक |
|      | दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि) | 1600 / - प्रतिदिन<br>(40,000 / - प्रतिमाह अधिकतम) | 1200 / -<br>(30,000 / - प्रतिमाह अधिकतम)   |

11. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता शासकीय एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा, जिला – जांजगीर-चाम्पा 495671 (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

PRINCIPAL

शास. GOVERNMENT OF CHAMPARAIN  
Champra (C.G.) महाविद्यालय चाम्पा (छ.ग.)

पृ.क्र./ 6/0 /अतिथि व्याख्याता/विज्ञापित /2025  
प्रतिलिपि :-

चाम्पा, दिनांक - 30.7.2025

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रवती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य, शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
4. कुलसचिव, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ
5. सूचना पटल/वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अतिथि व्याख्याता चयन समिति फाईल।

  
30.7.2025

(डॉ. एच.पी. खैरवार)

PRINCIPAL

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चाम्पा  
जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)